भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1464
जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।
9 श्रावण, 1946 (शक)

प्रोत्साहन कार्यक्रम

1464. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्पले इकोसिस्टम के विकास हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रमों पर 76,000 करोड़ रुपये में से 70,000 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर कर दिए हैं;

(ख) क्या केंद्र से 50 प्रतिशत प्रोत्साहन के अलावा, राज्य अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगे और तमिलनाडु ने इसके लिए पहले ही अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान कर दिया है;

(ग) क्या भारत में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया के दौरान इसकी लागत की 75 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बनाए रखने के लिए हमें मूल्य श्रृंखला को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा यह दूसरे देश का रुख कर देगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): देश में सेमीकंडक्टरों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं

(i) सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले विनिर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित चार योजनाएं शुरू की गई हैं:

क) **'भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना'** भारत में सिलिकॉन सीएमओएस आधारित सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए समतुल्य आधार पर परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ख) **'भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना'** भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए समतुल्य आधार पर परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ग) **'भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना'** भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय का 50% वित्तीय समर्थन प्रदान करती है।

घ) **'डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना':** डिजाइन अवसंरचना समर्थन के अलावा, यह योजना पात्र व्यय के 50% तक "उत्पाद डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन" प्रदान करती है, जिसकी सीमा प्रति आवेदन ₹15 करोड़ है और 5 वर्षों में निवल बिक्री कारोबार का 6% से 4% "नियोजित लिंक्ड प्रोत्साहन" प्रदान करती है, जिसकी सीमा प्रति आवेदन ₹30 करोड़ है।

ङ) सरकार ने ब्राउनफील्ड फैब के रूप में मोहाली स्थित सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 1,48,746 करोड़ रुपये के संचयी निवेश वाली 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों की घोषणा की है।

इसके अलावा, सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और घटक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर केंद्रित निम्नलिखित कार्यक्रमों को लागू कर रही है:

(i) इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) दिनांक 01.04.2020 को अधिसूचित की गई थी और दिनांक 31.03.2024 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक घटकों, ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग, यांत्रिकी, माइक्रो/नैनो-इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) पॉलीसिलिकॉन, एसपीवी वेफर्स और सौर कोशिकाओं, विशेष उप-असेंबली और उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। दिनांक 30.06.2024 तक, एसपीईसीएस योजना के तहत 8,803.14 करोड़ रुपये का वृद्धिशील निवेश किया गया था। इससे 30 जून, 2024 तक 18,083.55 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है।

(ii) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने के लिए, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) एसपीईसीएस 01.04.2020 को अधिसूचित की गई थी। यह योजना भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर 3% से 6% का प्रोत्साहन देती है और लक्ष्य खंडों जैसे मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के तहत पात्र कंपनियों को 5 साल की अवधि के लिए कवर करती है। 30 जून, 2024 तक पीएलआई योजना के तहत 8,390 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया जा चुका है। इससे 30 जून, 2024 तक 5,14,960 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है।

सरकार ने भारत में 4 सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाएं और 13 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियां स्थापित करने की मंजूरी दी है।

*****